भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1875

उत्तर देने की तारीख : 09.03.2026

सिक्किम में एमएसएमई पहुंच और उद्यमिता विकास

1875. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम राज्य में उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों की कुल संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई कुल परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा अनुमानित कितना रोजगार सृजित हुआ है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत संस्वीकृत की गई ऋण गारंटी की कुल संख्या वर्ष-वार कितनी है; और

(घ) सिक्किम जैसे पहाड़ी और सीमावर्ती राज्यों में एमएसएमई की पहुंच और उद्यमिता विकास को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल दिनांक 01.07.2020 को शुरू किया गया था। दिनांक 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 7.83 करोड़ थी, इनमें से 36,269 एमएसएमई सिक्किम में पंजीकृत हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	सिक्किम राज्य में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या
2022-23	3,117
2023-24	7,936
2024-25	13176
2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)	9951

(ख) : सिक्किम में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या और सृजित अनुमानित रोजगार का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
2022-23	57	456
2023-24	132	1,056
2024-25	316	2,528
2025-26 (दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार)	202	1,616

(ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत अनुमोदित ऋण गारंटियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	अनुमोदित गारंटी की संख्या	राशि करोड़ रुपए में
2022-23	765	61
2023-24	1,108	102
2024-25	1,748	165

(घ) : दिनांक 05.03.2026 की स्थिति के अनुसार, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमएसएमई की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	48,870
2.	असम	15,12,853
3.	मणिपुर	1,78,102
4.	मेघालय	74,087
5.	मिजोरम	52,518
6.	नागालैंड	74,746
7.	सिक्किम	36,269
8.	त्रिपुरा	3,14,007

सरकार सिक्किम जैसे पर्वतीय और सीमावर्ती राज्यों सहित पूरे देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, खरीद और विपणन सहायता स्कीम, एमएसएमई के कार्य निष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, एमएसएमई चैंपियंस, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

"पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई को संवर्धन" स्कीम वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और इसे वर्ष 2021-2026 के लिए 295.0 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ जारी रखा गया है। वर्ष 2016 में स्कीम की शुरुआत से, 73 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है और भारत सरकार से अनुदान के रूप में 352.86 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

उपर्युक्त स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं के निर्माण या उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचार तथा कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

i. नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरण: भारत सरकार से अधिकतम सहायता 13.50 करोड़ रुपए या परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो।

ii. नए और मौजूदा औद्योगिक संपदाओं का विकास: भारत सरकार से अधिकतम सहायता नई औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 13.50 करोड़ रुपए या मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 9.00 करोड़ रुपए या परियोजना लागत का 90%, इनमें से जो भी कम हो।

iii. पर्यटन क्षेत्र का विकास: भारत सरकार से मिलने वाली सहायता 4.50 करोड़ रुपए या परियोजना लागत का 90%, जो भी कम हो।
